सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	आदेश तिथि
01/2011	इस्तगासा 145 CRPC	12.01.2011	15.03.2018

सरकार बनाम पार्टी संख्या–1 –
1. मुरादअली पुत्र अब्दुल हमीद उम्र 55 साल
2. समशाद पुत्र अब्दुल हमीद उम्र 45 साल
3. मो. मुस्लिम पुत्र अब्दुल हमीद उम्र 40 साल
4. आबिद पुत्र समशाद उम्र 20 साल अकवाम काजी निवासीगण वार्ड नं. 16, चूरू

पार्टी संख्या–2 –
1. दीनमोहम्मद पुत्र रहमतुल्ला उम्र 56 वर्ष
2. गुलहसन पुत्र रहमतुल्ला उम्र 56 वर्ष
3. दाऊद पुत्र दीनमोहम्मद उम्र 27 साल
4. तनजेब उर्फ बाबू पुत्र दीनमोहम्मद उम्र 27 साल
5. तारीक पुत्र गुलहसन उम्र 22 साल
6. श्रीमती समीम पत्नी दीनमोहम्मद उम्र 52 वर्ष
7. श्रीमती परवीन पत्नी गुलहसन उम्र 40 वर्ष अकवाम काजी सकनाए वार्ड नं. 12, चूरू

Sub Divisional Magistrate CHURU (Rajasthan)

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी.

उपस्थित –
1. अधिवक्ता श्री हसन खान पार्टी सं. 1
2. अधिवक्ता श्री आनन्द बालाण व श्री हीरालाल पार्टी सं. 2

निर्णय

थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चूरू की ओर से इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रकिया संहिता का बाबत खसरा नम्बर 253 व 254 तादादी 19 बीघा 11 विश्वा व 26 बीघा 13 विश्वा वाके रोही कस्बा चूरू के कब्जा को लेकर पक्षकारान में भयंकर तनाव होकर शान्ति व्यवस्था भंग होने बाबत पेश किया था जिस पर न्यायालय द्वारा इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 12.01.2011 को प्रारम्भिक आदेश जारी कर दोनों पक्षकारान से अपने–अपने कब्जा सम्बन्धी साक्ष्य सबूत पेश करने का नोटिस दिया गया जिसकी अनुपालना में पार्टी सं. 1 व पार्टी सं. 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में पेश हुए एवं अपना–अपना जवाब पेश किया।

पार्टी सं. 1 मुरादअली आदि की ओर से बतौर साक्ष्य गवाह मोहम्मद मुस्लिम, मुरादअली व समसाद के बयान करवाये गये। गवाह मोहम्मद मुस्लिम, मुरादअली व शमशाद आपस में सगे भाई हैं इन तीनों के अलावा अन्य कोई स्वतन्त्र साक्ष्य पेश नहीं

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू (राज.)

किया। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पार्टी सं. 1 की ओर से जमाबन्दी प्रदर्श–1 व भू–अभिलेख निरीक्षक, कस्बा चूरू की रिपोर्ट की नकल प्रदर्श–2 पेश किये। रिपोर्ट प्रदर्श–2 के पैरा संख्या 4 में कृषि भूमि ख.नं. 253 व 254 के कुछ हिस्सा पर रहमतुल्ला काजी का हिस्सा बतलाया गया है।

पार्टी सं. 2 की ओर से अपनी साक्ष्य में गवाह दीनमोहम्मद, शंकरलाल कुम्हार व नारायण प्रजापत के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरू का निर्णय दिनांक 09.11.2011 प्रदर्श–1, पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 10.09.2013 प्रदर्श–2, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 09.11.2011 प्रदर्श–3, आदेश दिनांक 07.11.2012 प्रदर्श–4, सहायक कलक्टर, चूरू का निर्णय दिनांक 31.10.1988 प्रदर्श–5, डिक्री प्रदर्श–6, संशोधन आदेश प्रदर्श–7, जमाबन्दी सम्वत् 2043 प्रदर्श–8, उपखण्ड अधिकारी, चूरू का अपील निर्णय दिनांक 27.03.1991 प्रदर्श–9, गुलहसन द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.10 प्रदर्श–10, कृषि भूमि ख.नं. 253 व 254 के बारे में तहसीलदार चूरू द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू के आदेश से पेश जांच रिपोर्ट दिनांक 01.10.10 प्रदर्श–11, न्यायालय श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू की नोटशीट दिनांक 19.11.2010 से 28.03.2011 प्रदर्श–12, माननीय न्यायालय एडीजे साहब, चूरू के अपील आदेश दिनांक 06.02.2015 प्रदर्श–13 व नजरी नक्शा दिनांक 05.12.10 प्रदर्श–14 पेश हुए। इसके अलावा प्रदर्श–डी 1 से प्रदर्श–डी 4 भी पेश किये गये जो कमशः प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.07.81, रिपोर्ट आखिरी दिनांक 31.07.81, अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 04.07.2011 व एफ. आर. निर्णय दिनांक 11.05.2012 हैं।

Sub Divisional Magistrate CHURU (Rajasthan)

प्रकरण पर उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पार्टी सं. 1 मुरादअली आदि के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि इस वादगत कृषि भूमि पर पार्टी सं. 1 का अपने पिता के समय से कब्जा व काश्त चला आ रहा है एवं पार्टी सं. 1 द्वारा पेश तीनों गवाहान के बयानों से पार्टी सं. 1 का कब्जा होना प्रमाणित है। इसलिए पार्टी सं. 1 का कब्जा घोषित किया जावे। पार्टी सं. 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 253 तादादी 19 बीघा 11 विश्वा व ख.नं. 254 तादादी 26 बीघा 13 विश्वा वाके रोही कस्बा चूरू पर उसके पिता रहमतुल्ला के जीवनकाल से उसका शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है एवं इस कृषि भूमि के चारों तरफ पट्टियां लगाकर तारबन्दी करके एक झोंपड़ा व कुण्ड भी बना रखा है। साथ में एक टैणों का ढालिया भी बना रखा है। अधिवक्ता द्वारा यह भी जाहिर किया कि सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा पार्टी सं. 2 के पिता रहमतुल्ला का कब्जा व काश्त होना मानकर निर्णित कर उन्हें इस कृषि भूमि का काश्तकार उप–कृषक घोषित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्णयों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, जिनसे यह तथ्य भली प्रकार से प्रमाणित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्श–2 व तहसीलदार, चूरू की रिपोर्ट

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू (राज.)

प्रदर्श–11, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू कार्यवाही प्रदर्श–12, न्यायालय एडीजे साहब, चूरू के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–13 से भी इस भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त प्रारम्भिक आदेश पारित व न्यायालय में इस्तगासा पेश करने के काफी वर्षों पहले से पार्टी सं. 2 दीनमोहम्मद आदि का कब्जा प्रमाणित है। हमारे द्वारा पेश स्वतन्त्र गवाहान शंकरलाल व नारायण द्वारा भी अपने बयानों में पार्टी सं. 2 के बयानों की ताईद की है, जिनसे भी इस कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक वर्षों से पार्टी सं. 2 का कब्जा व काश्त होना प्रमाणित होता है। थानाधिकारी कोतवाली, चूरू की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–डी 1 की जांच में भी पुलिस थाना द्वारा इस कृषि भूमि पर पार्टी सं.2के दीनमोहम्मद व उसके पिता का कब्जा व काश्त पाया जो तथ्य पुलिस थाना द्वारा पेश आखिरी रिपोर्ट की प्रमाणित नकल प्रदर्श–डी 2 से प्रमाणित हुआ है। इसके अलावा अन्तिम रिपोर्ट प्रदर्श–डी 3, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू द्वारा प्रदर्श–डी 4 व डी 5 से भी पार्टी सं. 2 का इस वादगत कृषि भूमि पर वर्षों से शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त होना प्रमाणित हुआ है। इसलिए इस कृषि भूमि पर पार्टी सं. दीनमोहम्मद आदि का प्रारम्भिक आदेश की दिनांक व उसके दो माह पहले से शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त विधिवत रूप से होने के कारण कब्जा पार्टी सं. 2 का घोषित फरमाया जावे।

Sub Divisional Magistrate CHURU (Rajasthan)

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस के तथ्यों पर मनन किया जाकर पत्रावली व पेश दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। पार्टी सं. 1 मुरादअली आदि की ओर से उक्त वादगत कृषि भूमि पर अपने कब्जे बाबत मात्र अपने तीनों सगे भाईयों के बयान करवाये गये हैं एवं अन्य किसी स्वतन्त्र गवाह को पेश नहीं किया गया है। ना ही पार्टी सं. 1 द्वारा अपने कब्जे को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है। पार्टी सं. 1 के गवाह मो0 मुस्लिम ने अपनी जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि रहमतुल्ला के हिस्से की भूमि रहमतुल्ला के ही वारिसान काश्त करते हैं। रहमतुल्ला के वारिस अपने कब्जेशुदा भूमि पर पट्टियां व तार लगा रखे हों तो मुझे पता नहीं। इस गवाह ने यह भी कहा कि ख.नं. 253 व 254 दीनमोहम्मद ही काश्त करते हों तो मुझे पता नहीं। दूसरे गवाह मुरादअली ने अपनी जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि दीनमोहम्मद वगैरा आदि इस कृषि भूमि को गत करीब 6 वर्षों से काश्त कर रहे हैं। इस प्रकार पार्टी सं. 1 के गवाहान ने भी मौके पर पार्टी सं. 2 का कब्जा होना दबे स्वर में स्वीकार किया है।

पार्टी सं. 2 दीनमोहम्द आदि की ओर से दीनमोहम्मद के अलावा शंकरलाल व नारायण को पेश किया है जो कि स्वतन्त्र गवाह हैं, जिन्होंने अपने बयानों में पार्टी सं. 2 के बयानों की ताईद की है। पार्टी सं. 2 की ओर से पेश प्रदर्श–5, प्रदर्श–6, प्रदर्श–7, प्रदर्श–9 से भी इस प्रश्नगत कृषि भूमि पर पार्टी सं. 2 का कब्जा होना भली प्रकार से प्रमाणित हुआ है कि इस कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त पार्टी सं. 2 के पिता रहमतुल्ला का ही वर्षों से चला आ रहा है। उन्हें न्यायालय द्वारा उप–कृषक भी घोषित

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू (राज.)

किया हुआ है। पटवारी हल्का, चूरू की मौका रिपोर्ट प्रदर्श–11, प्रदर्श–12, निर्णय प्रदर्श–13 व अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से इस विवादित कृषि भूमि पर प्रारम्भिक आदेश पारित करने की दिनांक व उसके ठीक दो माह के पूर्व से इस कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा पार्टी सं. 2 दीनमोहम्मद आदि का होना मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक आदेश दिनांक 20.01.2011 व उसके दो माह पूर्व से वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 253 व 254 तादादी 19 बीघा 11 विश्वा व 26 बीघा 13 विश्वा वाके रोही कस्बा चूरू पर शान्तिपूर्वक वैधानिक रूप से कब्जा पार्टी सं. 2 दीनमोहम्मद आदि का होना प्रमाणित माना जाता है एवं पार्टी सं. 1 को आदेश दिया जाता है कि कानूनी एवं विधिवत प्रकिया से पार्टी सं. 2 को बेदखल नहीं किया जाने तक वह उपरोक्त कृषि भूमि में पार्टी सं. 2 के चल रहे शान्तिपूर्वक कब्जे व काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें।

आदेश आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
चूरू